न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 236/16–17

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

फूदो देवी – विक्रेता

तारा देवी – क्रेता

वाद की क्रम संख्या और तारीख	
31.07.18	**आदेश**

आवेदक/आवेदिका फूदो देवी पति स्व0 नथन नायक ग्राम तोरपा हरिजन टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने तारा देवी पति स्व0 नकुल नायक ग्राम तोरपा हरिजन टोली, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
तोरपा	53	113	2726	0.02

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 996380 एवं 2144371 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 47 दिनांक 19.01.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बोधा घासी है। पंजी II के अनुसार बोधा घासी के नाम भूमि का रकवा 0.20 एकड़ है। आवेदक के पास रकवा 2.97 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 68401.00(अड़सठ हजार चार सौ एक)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्र य के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 2.95 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक टी थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही समुदाय (अनुसूचित जाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदक क्रे ता–वि क्रेता को भूमि क्र य–वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण फूदो देवी पति स्व0 नथन नायक को तारा देवी पति स्व0 नकुल नायक के साथ ग्राम तोरपा के खाता सं0 113 खेसरा संख्या 2726 का रकबा 0.02 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 68401.00(अड़सठ हजार चार सौ एक)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्र य की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।